

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 47

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2857.37	0.11	2857.48	3300.87	0.86	3301.73	3390.62	1.02	3391.64	3899.43	1.26	3900.69
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	2857.37	0.11	2857.48	3300.87	0.86	3301.73	3390.62	1.02	3391.64	3899.43	1.26	3900.69
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	38.37	0.11	38.48	51.55	0.80	52.35	41.97	0.96	42.93	44.12	1.15	45.27
2. स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी निर्धारण	9.94	0.06	10.00	17.74	0.06	17.80	18.64	0.11	18.75
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	38.37	0.11	38.48	61.49	0.86	62.35	59.71	1.02	60.73	62.76	1.26	64.02
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
स्वास्थ्य अनुसंधान अवसंरचना विकास												
3. महामारियों और राष्ट्रीय आपदाओं के प्रबंधन हेतु राष्ट्रव्यापी प्रयोगशाला के नेटवर्क की स्थापना	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.99	...	60.99	57.24	...	57.24
4. स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास	69.12	...	69.12	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	150.18	...	150.18
5. महामारियों के फैलने को रोकने के लिए उपकरणों का विकास /समर्थन	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	3.49	...	3.49
जोड़-स्वास्थ्य अनुसंधान अवसंरचना विकास	139.12	...	139.12	148.00	...	148.00	148.99	...	148.99	210.91	...	210.91
6. मानव संसाधन तथा क्षमता विकास	82.27	...	82.27	147.04	...	147.04	124.71	...	124.71	149.77	...	149.77
7. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)- जैव सुरक्षा तत्परता तथा एक स्वास्थ्य हेतु महामारी अनुसंधान और बहु क्षेत्र और राष्ट्रीय संस्थानों और मंच का सुदृढीकरण	254.43	...	254.43	212.21	...	212.21	187.22	...	187.22	350.49	...	350.49
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	475.82	...	475.82	507.25	...	507.25	460.92	...	460.92	711.17	...	711.17
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
8. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद; नई दिल्ली	2343.18	...	2343.18	2732.13	...	2732.13	2869.99	...	2869.99	3125.50	...	3125.50
कुल जोड़	2857.37	0.11	2857.48	3300.87	0.86	3301.73	3390.62	1.02	3391.64	3899.43	1.26	3900.69

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2819.00	...	2819.00	3110.32	...	3110.32	3214.95	...	3214.95	3703.64	...	3703.64
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	38.37	...	38.37	51.55	...	51.55	41.97	...	41.97	44.12	...	44.12
3. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	0.06	0.06	...	0.06	0.06	...	0.11	0.11
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.11	0.11	...	0.80	0.80	...	0.96	0.96	...	1.15	1.15
जोड़-सामाजिक सेवाएं	2857.37	0.11	2857.48	3161.87	0.86	3162.73	3256.92	1.02	3257.94	3747.76	1.26	3749.02
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	139.00	...	139.00	133.70	...	133.70	151.67	...	151.67
जोड़-अन्य	139.00	...	139.00	133.70	...	133.70	151.67	...	151.67
कुल जोड़	2857.37	0.11	2857.48	3300.87	0.86	3301.73	3390.62	1.02	3391.64	3899.43	1.26	3900.69

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी निर्धारण:** प्रभावी लागत, सुरक्षा एवं इकटिटी सहित प्रभावी नैदानिक, आर्थिक विचार का मूल्यांकन करने हेतु स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी निर्धारण प्रणाली प्रदान करना।

3. **महामारियों और राष्ट्रीय आपदाओं के प्रबंधन हेतु राष्ट्रव्यापी प्रयोगशाला के नेटवर्क की स्थापना:** इस योजना का उद्देश्य वायरल महामारी का प्रबंधन तथा उत्पन्न और पुनःउत्पन्न होने वाले वायरल संक्रमण के लिए समय पर निदान सुनिश्चित करना है।

4. **स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास:** इस योजना में राजकीय चिकित्सा कॉलेजों में बहु-विषयक अनुसंधान इकाइयों और राज्यों में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है।

5. **महामारियों के फैलने को रोकने के लिए उपकरणों का विकास/समर्थन:** यह प्रावधान महामारी के प्रकोपों को रोकने के लिए उपकरणों/सहायता के विकास और प्रकोपों/ महामारी के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए है।

6. **मानव संसाधन तथा क्षमता विकास:** यह प्रावधान (i) स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु मानव संसाधन विकास की योजना के तहत स्वास्थ्य अनुसंधान में प्रशिक्षण के लिए अध्येतावृत्तिका; (ii) स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन सहित स्वास्थ्य अनुसंधान और प्रशासन सुदृढ़ों के लिए अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण के लिए सहायता अनुदान योजना और (iii) अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्य सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रदान करने के लिए है।

7. **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)- जैव सुरक्षा तत्परता तथा एक स्वास्थ्य हेतु महामारी अनुसंधान और बहु क्षेत्र और राष्ट्रीय संस्थानों और मंच का सुदृढीकरण:** पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत जैव सुरक्षा तत्परता और

महामारी अनुसंधान और बहु क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों और एकल स्वास्थ्य मंच को सुदृढ करने के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान घटकों का कार्यान्वयन और राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के लिए अनुसंधान एवं विकास को मजबूत करने का प्रावधान।

8. **भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद; नई दिल्ली:** भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के संवर्धन, समन्वय और सूत्रबद्ध करने के लिए देश का एक शीर्षस्थ निकाय है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य, पोषण, गैरसंचारी रोग और आधारभूत अनुसंधान में शोध हेतु परिषद को अनुदान प्रदान करती है। यह परिषद जनजातीय स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा और सूचना के प्रकाशन तथा प्रसार पर भी शोध कार्य करती है।